

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक...../एम.सी./ अराज/05/2022

भोपाल, दिनांक. 12/03/2022

// अनापत्ति प्रमाण -पत्र //

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में कार्यरत स्टाफ नर्स से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ एफ 2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु 1 से 4 तक के नियम के अन्तर्गत आपसी सहमती से परस्पर अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्तों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है ।

क्र	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	अंजली बकोरिया	हमी0 चिकित्सालय	गीता गुजरे	चि0 महावि0 इंदौर
2	शिवानी उपाध्याय	हमी0 चिकित्सालय	तनुश्री पाण्डे	चि0 महावि0 जबलपुर
3	पूनम पटेल	हमी0 चिकित्सालय	श्रीमती संध्या पवार	चि0 महावि0 रीवा
4	हेमलता कुशवाह	हमी0 चिकित्सालय	रितिका उईके	चि0 महावि0 इंदौर
5	काजल चक्रवर्ती	हमी0 चिकित्सालय	प्रियंका पाल	चि0 महावि0 इंदौर
6	पूजा प्रजापत	हमी0 चिकित्सालय	लता राजपूत	चि0 महावि0 रतलाम

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद एवं समान संवर्ग के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए ।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा ।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा ।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी ।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनो आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी । दोनो आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा ।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक/स्था/अराज-5/2022

भोपाल, दिनांक/03/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/जबलपुर/रीवा/रतलाम की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मेड्रन , हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.स्वाशासी स्टाफ नर्स द्वारा:-संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल म.प्र.